Section 12 : Place of supply of services where location of supplier and recipient is in India

(1) The provisions of this section shall apply to determine the place of supply of services where the location of supplier of services and the location of the recipient of services is in India.

(2) The place of supply of services, except the services specified in sub-sections (3) to (14),—

(a) made to a registered person shall be the location of such person;

(b) made to any person other than a registered person shall be,—

(i) the location of the recipient where the address on record exists; and

(ii) the location of the supplier of services in other cases.

(3) The place of supply of services,—

(a) directly in relation to an immovable property, including services provided by architects, interior decorators, surveyors, engineers and other related experts or estate agents, any service provided by way of grant of rights to use immovable property or for carrying out or co-ordination of construction work; or

(b) by way of lodging accommodation by a hotel, inn, guest house, home stay, club or campsite, by whatever name called, and including a house boat or any other vessel; or

(c) by way of accommodation in any immovable property for organising any marriage or reception or matters related thereto, official, social, cultural, religious or business function including services provided in relation to such function at such property; or

(d) any services ancillary to the services referred to in clauses (a), (b) and (c),

shall be the location at which the immovable property or boat or vessel, as the case may be, is located or intended to be located:

Provided that if the location of the immovable property or boat or vessel is located or intended to be located outside India, the place of supply shall be the location of the recipient.

Explanation—Where the immovable property or boat or vessel is located in more than one State or Union territory, the supply of services shall be treated as made in each of the respective States or Union territories, in proportion to the value for services separately collected or determined in terms of the contract or agreement entered into in this regard or, in the absence of such contract or agreement, on such other basis as may be prescribed.

(4) The place of supply of restaurant and catering services, personal grooming, fitness, beauty treatment, health service including cosmetic and plastic surgery shall be the location where the services are actually performed.

(5) The place of supply of services in relation to training and performance appraisal to,—

(a) a registered person, shall be the location of such person;

(b) a person other than a registered person, shall be the location where the services are actually performed.

(6) The place of supply of services provided by way of admission to a cultural, artistic, sporting, scientific, educational, entertainment event or amusement park or any other place and services ancillary thereto, shall be the place where the event is actually held or where the park or such other place is located.

(7) The place of supply of services provided by way of,—

(a) organisation of a cultural, artistic, sporting, scientific, educational or entertainment event including supply of services in relation to a conference, fair, exhibition, celebration or similar events; or

(b) services ancillary to organisation of any of the events or services referred to in clause (*a*), or assigning of sponsorship to such events,—

(i) to a registered person, shall be the location of such person;

(ii) to a person other than a registered person, shall be the place where the event is actually held and if the event is held outside India, the place of supply shall be the location of the recipient.

Explanation—Where the event is held in more than one State or Union territory and a consolidated amount is charged for supply of services relating to such event, the place of supply of such services shall be taken as being in each of the respective States or Union territories in proportion to the value for services separately collected or determined in terms of the contract or agreement entered into in this regard or, in the absence of such contract or agreement, on such other basis as may be prescribed.

(8) The place of supply of services by way of transportation of goods, including by mail or courier to,—

(a) a registered person, shall be the location of such person;

(b) a person other than a registered person, shall be the location at which such goods are handed over for their transportation.

[1][*****]

(9) The place of supply of passenger transportation service to,—

---

1 Proviso omitted by The Finance Act 2023, effective date yet to be notified. Earlier to omission it read as under:
"[A][Provided that where the transportation of goods is to a place outside India, the place of supply shall be the place of destination of such goods.**]"**

A Proviso inserted by IGST (Amendment) Act, 2018 (32 of 2018). It is made effective from 01-02-2019 by Noti. No. 01/2019–Integrated Tax, dt. 29-01-2019.

(a) a registered person, shall be the location of such person;

(b) a person other than a registered person, shall be the place where the passenger embarks on the conveyance for a continuous journey:

Provided that where the right to passage is given for future use and the point of embarkation is not known at the time of issue of right to passage, the place of supply of such service shall be determined in accordance with the provisions of sub-section (2).

Explanation—For the purposes of this sub-section, the return journey shall be treated as a separate journey, even if the right to passage for onward and return journey is issued at the same time.

(10) The place of supply of services on board a conveyance, including a vessel, an aircraft, a train or a motor vehicle, shall be the location of the first scheduled point of departure of that conveyance for the journey.

(11) The place of supply of telecommunication services including data transfer, broadcasting, cable and direct to home television services to any person shall,—

(a) in case of services by way of fixed telecommunication line, leased circuits, internet leased circuit, cable or dish antenna, be the location where the telecommunication line, leased circuit or cable connection or dish antenna is installed for receipt of services;

(b) in case of mobile connection for telecommunication and internet services provided on post-paid basis, be the location of billing address of the recipient of services on the record of the supplier of services;

(c) in cases where mobile connection for telecommunication, internet service and direct to home television services are provided on pre-payment basis through a voucher or any other means,–

(i) through a selling agent or a re-seller or a distributor of subscriber identity module card or re-charge voucher, be the address of the selling agent or re-seller or distributor as per the record of the supplier at the time of supply; or

(ii) by any person to the final subscriber, be the location where such prepayment is received or such vouchers are sold;

(d) in other cases, be the address of the recipient as per the records of the supplier of services and where such address is not available, the place of supply shall be location of the supplier of services:

Provided that where the address of the recipient as per the records of the supplier of services is not available, the place of supply shall be location of the supplier of services:

Provided further that if such pre-paid service is availed or the recharge is made through internet banking or other electronic mode of payment, the location of the recipient of services on the record of the supplier of services shall be the place of supply of such services.

Explanation—Where the leased circuit is installed in more than one State or Union territory and a consolidated amount is charged for supply of services relating to such circuit, the place of supply of such services shall be taken as being in each of the respective States or Union territories in proportion to the value for services separately collected or determined in terms of the contract or agreement entered into in this regard or, in the absence of such contract or agreement, on such other basis as may be prescribed.

(12) The place of supply of banking and other financial services, including stock broking services to any person shall be the location of the recipient of services on the records of the supplier of services:

Provided that if the location of recipient of services is not on the records the supplier, the place of supply shall be the location of the supplier of services.

(13) The place of supply of insurance services shall,—

(a) to a registered person, be the location of such person;

(b) to a person other than a registered person, be the location of the recipient of services on the records of the supplier of services.

(14) The place of supply of advertisement services to the Central Government, a State Government, a statutory body or a local authority meant for the States or Union territories identified in the contract or agreement shall be taken as being in each of such States or Union territories and the value of such supplies specific to each State or Union territory shall be in proportion to the amount attributable to services provided by way of dissemination in the respective States or Union territories as may be determined in terms of the contract or agreement entered into in this regard or, in the absence of such contract or agreement, on such other basis as may be prescribed.

धारा 12 : सेवाओं की पूर्ति का स्थान, जहां पूर्तिकार और प्राप्तिकर्ता का अवस्थान भारत में है

(1) इस धारा के उपबन्ध सेवाओं की पूर्ति के स्थान को अवधारित करने के लिए वहां लागू होंगे, जहां सेवाओं की पूर्तिकार का अवस्थान और सेवाओं के प्राप्तिकर्ता का अवस्थान भारत में है।

(2) उपधारा (3) से उपधारा (14) में विनिर्दिष्ट सेवाओं के सिवाय सेवाओं की पूर्ति का स्थान,—

(क) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को की गई है, तो ऐसे व्यक्ति का अवस्थान होगा;

(ख) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से भिन्न किसी भी व्यक्ति को की गई है तो,—

(i) प्राप्तिकर्ता का अवस्थान होगा, जहां अभिलेख पर पता विद्यमान है; और

(ii) अन्य मामलों में सेवाओं की पूर्तिकार का अवस्थान होगा।

(3) सेवाओं की पूर्ति का स्थान,—

(क) किसी स्थावर सम्पत्ति के सम्बन्ध में प्रत्यक्षतः जिसके अंतर्गत वास्तुविद, आंतरिक सज्जाकार, सर्वेक्षक, इंजीनियर और अन्य सम्बन्धित विशेषज्ञ या सम्पदा अभिकर्ता द्वारा प्रदान की गई सेवाएं भी हैं, स्थावर सम्पत्ति के उपयोग का अधिकार प्रदान करने के रूप में दी गई या सन्निर्माण कार्य को करने या उसे समन्वित करने के लिए किसी सेवा का स्थान; या

(ख) किसी होटल, सराय, अतिथि—गृह, गृह—निवास, क्लब या शिविर स्थान द्वारा चाहे जिस नाम से ज्ञात हो, जिसके अन्तर्गत हाउस बोट या कोई अन्य जलयान भी है, वास—सुविधा के रूप में सेवाओं की पूर्ति का स्थान; या

(ग) कोई विवाह या स्वागत समारोह या उससे सम्बन्धित मामलों में आयोजित करने के लिए, शासकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक या कारबार समारोह, जिसके अन्तर्गत ऐसी सम्पत्ति पर ऐसे समारोह के सम्बन्ध में दी गई सेवाएं भी हैं, के लिए किसी स्थावर सम्पत्ति मे वास—सुविधा के रूप में सेवाओं की पूर्ति का स्थान; या

(घ) खंड (क), खंड (ख) और खंड (ग) में निर्दिष्ट सेवाओं की अनुषंगी किन्ही सेवाओं की पूर्ति का स्थान,

वह अवस्थान होगा, जिस पर, यथास्थिति, स्थावर सम्पत्ति या नौका या जलयान अवस्थित है या अवस्थित होना आशयित है :

परन्तु यदि स्थावर सम्पत्ति या नौका या जलयान का अवस्थान भारत से बाहर अवस्थित है या अवस्थित होना आशयित है, तो पूर्ति का स्थान प्राप्तिकर्ता का अवस्थान होगा।

स्पष्टीकरण—जहां स्थावर सम्पत्ति या नौका या जलयान एक से अधिक राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में अवस्थित है, वहां सेवाओं की पूर्ति को प्रत्येक क्रमिक राज्य या संघ राज्यक्षेत्रों में इस बाबत की गई संविदा या करार के निबंधानानुसार सेवाओं के लिए पृथक्तः संगृहीत या अवधारित मूल्य के अनुपात में किया गया समझा जाएगा या ऐसी संविदा या करार के अभाव में ऐसे अन्य आधार पर किया गया समझा जाएगा, जो विहित किया जाए।

(4) रेस्तरां और खानपान सेवाओं, व्यक्तिगत श्रृंगार, स्वस्थता, सौंदर्य उपचार, स्वास्थ्य सेवा, जिसके अन्तर्गत प्रसाधन सामग्री और प्लास्टिक शल्यक्रिया भी है, की पूर्ति का स्थान वह अवस्थान होगा, जहां सेवाएं वास्तविक रूप से दी जाती हैं।

(5) प्रशिक्षण और कार्य—निष्पादन के मूल्यांकन से सम्बन्धित सेवाअें की पूर्ति का स्थान,—

(क) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को ऐसे व्यक्ति का अवस्थान होगा।

(ख) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति को प्रशिक्षण और कार्य–निष्पादन के मूल्यांकन से सम्बन्धित सेवाओं की पूर्ति का स्थान वह अवस्थान होगा, जहां सेवाएं वास्तविक रूप से दी जाती है।

(6) किसी सांस्कृतिक, कलात्मक, खेलकूद, वैज्ञानिक, शैक्षणिक, मनोरंजन समारोह या आमोद–प्रमोद बाड़ा या किसी अन्य स्थान में प्रवेश के रूप में दी गई सेवाओं और उसकी सहायक सेवाओं की पूर्ति का स्थान, वह स्थान होगा, जहां वास्तविक रूप से समारोह आयोजित किया जाता है या जहां पर बाड़ा या ऐसा अन्य स्थान अवस्थित है।

(7) निम्नलिखित के रूप में दी गई सेवाओं की पूर्ति का स्थान,–

(क) किसी सांस्कृतिक, कलात्मक, खेलकूद, वैज्ञानिक, शैक्षणिक या मनोरंजन समारोह के आयोजन जिसके अन्तर्गत किसी सम्मेलन, मेला, प्रदर्शनी, अनुष्ठान या इसी प्रकार के समारोहों के सम्बन्ध में सेवाओं की पूर्ति भी है, ऐसे व्यक्ति का अवस्थान होगा; या

(ख) किसी समारोह को आयोजित करने के लिए अनुषंगी सेवाएं या खंड (क) में निर्दिष्ट सेवाएं या ऐसे समारोहों के प्रायोजन का समनुदेशन,–

(i) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को किया जाता है तो ऐसे व्यक्ति का अवस्थान होगा;

(ii) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति को किया जाता है तो वह स्थान होगा, जहां समारोह वास्तविक रूप से आयोजित किया जाता है और यदि समारोह भारत के बाहर आयोजित किया जाता है, तो पूर्ति का स्थान प्राप्तिकर्ता का अवस्थान होगा।

स्पष्टीकरण–जहां समारोह एक से अधिक राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में आयोजित किया जाता है और ऐसे समारोह से सम्बन्धित सेवाओं की पूर्ति के लिए संचित रकम प्रभारित की जाती है तो ऐसी सेवाओं के स्थान को इस बाबत की गई संविदा या करार के निबंधनानुसार सेवाओं के लिए पृथक्तः संगृहीत या अवधारित मूल्य के अनुपात में प्रत्येक क्रमिक राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में होने के रूप में लिया जाएगा।

(8) निम्नलिखित को माल के परिवहन, जिसके अंतर्गत मेल या कुरिअर द्वारा भी आते हैं, के रूप में सेवाओं की पूर्ति का स्थान,–

(क) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को ऐसे व्यक्ति का अवस्थान होगा;

(ख) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से भिन्न व्यक्ति को माल के परिवहन, जिसके अंतर्गत मेल या कुरिअर द्वारा भी आते हैं, के रूप में सेवाओं की पूर्ति का स्थान वह अवस्थान होगा, जिस पर ऐसा माल उसके परिवहन के लिए सौंपा जाता है।

[1]**[......]**

(9) यात्री परिवहन सेवा की पूर्ति का स्थान,–

(क) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को ऐसे व्यक्ति का अवस्थान होगा;

---

1 वित्त अधिनियम, 2023 द्वारा धारा 12 की उपधारा (8) विलोपित। यह संशोधन अभी प्रभावशील नहीं किया गया है। यह विलोपन के पूर्व इस प्रकार थी :

''[A]**[परन्तु** यह कि जहां माल का परिवहन भारत से बाहर स्थान के लिए होता है, वहां पूर्ति का स्थान, ऐसे माल के गंतव्य का स्थान होगा।]''

A एकीकृत माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2018 (2018 का 32) द्वारा परन्तुक अंतःस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 1/2019–एकीकृत कर, दिनांक 29.01.2019 द्वारा इसको दिनांक 01.02.2019 से प्रभावशील किया गया।

(ख) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से भिन्न व्यक्ति को यात्री परिवहन सेवा की पूर्ति का स्थान, वह स्थान होगा, जहां यात्री निरंतर यात्रा के लिए वाहन पर चढ़ता है :

परन्तु जहां मार्गाधिकार किसी भावी उपयोग के लिए दिया गया है और चढ़ने का बिन्दु मार्गाधिकार जारी करने के समय ज्ञात नहीं है तो ऐसी सेवा की पूर्ति का स्थान उपधारा (2) के उपबन्धों के अनुसार अवधारित किया जाएगा।

स्पष्टीकरण–इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, वापसी यात्रा को एक पृथक् यात्रा के रूप में समझा जाएगा, चाहे आगे की और वापसी यात्रा का मार्गाधिकार एक ही समय जारी किया गया हो।

(10) किसी वाहन के फलक पर, जिसके अंतर्गत कोई जलयान, कोई वायुयान, कोई ट्रेन या कोई मोटर यान भी है, सेवा की पूर्ति का स्थान यात्रा के लिए उस वाहन के प्रस्थान के पहले अनुसूचित बिन्दु का अवस्थान होगा।

(11) किसी व्यक्ति को दूरसंचार सेवाओं की, जिसके अंतर्गत डाटा ट्रांसफर, प्रसारण, केबल और डायरेक्ट टू होम दूरदर्शन सेवा भी है, पूर्ति का स्थान–

(क) स्थिर दूरसंचार लाइन, लीज्ड सर्किट, इंटरनेट लीज्ड सर्किट, केबल या डिश एन्टिना के रूप में सेवाओं की दशा में वह अवस्थान होगा, जहां दूरसंचार लाइन, लीज्ड सर्किट या केबल कनेक्शन या डिश एन्टिना सेवाओं की प्राप्ति के लिए संस्थापित किया जाता है;

(ख) पश्च संदाय आधार प्रदान की गई दूरसंचार और इंटरनेट सेवाओं के लिए मोबाईल कलेक्शन की दशा में सेवाओं के पूर्तिकर्ता के अभिलेख पर सेवाओं के प्राप्तिकर्ता के बिलिंग पते का स्थान होगा;

(ग) उन मामलों में, जहां दूरसंचार के लिए मोबाईल कनेक्शन, इंटरनेट सेवा और डायरेक्ट टू होम दूरदर्शन सेवाएं, किसी वाउचर या किसी अन्य साधन के माध्यम से पूर्व संदाय आधार पर,–

(i) किसी विक्रय अभिकर्ता या किसी पुनः विक्रेता या सब्सक्राइबर आईडंटिटी मोड्यूल कार्ड या रिचार्ज वाउचर के वितरक के माध्यम से प्रदान की जाती है, वहां पूर्ति के समय पूर्तिकर्ता के अभिलेख के अनुसार विक्रय अभिकर्ता या पुनः विक्रेता या वितरक के पते का स्थान होगा;

(ii) अंतिम सब्सक्राइबर को किसी व्यक्ति द्वारा प्रदान की जाती है वहां वह अवस्थान होगा, जहां ऐसा पूर्व संदाय प्राप्त किया गया है या ऐसे वाउचर बेचे गए हैं;

(घ) अन्य दशाओं में, सेवाओं के पूर्तिकार के अभिलेख के अनुसार प्राप्तिकर्ता का पता होगा और जहां ऐसा पता उपलब्ध नहीं है, वहां सेवाओं के पूर्तिकार का अवस्थान पूर्ति का स्थान होगाः

परन्तु जहां सेवाओं के पूर्तिकार के अभिलेख के अनुसार प्राप्तिकर्ता का पता उपलब्ध नहीं है, वहां सेवाओं के पूर्तिकार का अवस्थान पूर्ति का स्थान होगा :

परन्तु यह और कि यदि इंटरनेट बैंकिंग या संदाय के अन्य इलेक्ट्रानिक पद्धति के माध्यम से ऐसी पूर्व संदाय सेवा प्राप्त की जाती है या रिचार्ज किया जाता है, तो सेवाओं के पूर्तिकार के अभिलेख में सेवाओं के प्राप्तिकर्ता का अवस्थान ऐसी सेवाओं की पूर्ति का स्थान होगा।

स्पष्टीकरण–जहां लीज्ड सर्किट को एक से अधिक राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में संस्थापित किया गया है और ऐसी सर्किट के सम्बन्ध में सेवाओं की पूर्ति के लिए संचित रकम प्रभारित

की जाती है, वहां ऐसी सेवाओं की पूर्ति के स्थान को इस बाबत् की गई संविदा या करार के निबंधनानुसार सेवाओं के लिए पृथक्तः संगृहीत या अवधारित मूल्य के अनुपात में प्रत्येक क्रमिक राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में होने के रूप में, या ऐसी संविदा या करार के अभाव में ऐसे अन्य आधार पर, जो विहित किया जाए, लिया जाएगा।

(12) बैंककारी और अन्य वित्तीय सेवाओं की पूर्ति का स्थान, जिसके अंतर्गत किसी व्यक्ति को स्टाक ब्रोकिंग सेवाएं भी हैं, सेवाओं के पूर्तिकार के अभिलेख में सेवाओं के प्राप्तिकर्ता का अवस्थान होगा :

परन्तु यदि सेवाओं के प्राप्तिकर्ता का अवस्थान पूर्तिकार के अभिलेख में नहीं है, तो पूर्ति का स्थान पूर्तिकार का स्थान होगा।

(13) बीमा सेवाओं की,–

(क) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को पूर्ति का स्थान ऐसे व्यक्ति का अवस्थान होगा;

(ख) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति को पूर्ति का स्थान सेवाओं के पूर्तिकार के अभिलेख में सेवाओं के प्राप्तिकर्ता का अवस्थान होगा।

(14) केन्द्रीय सरकार, किसी राज्य सरकार, किसी कानूनी निकाय या किसी स्थानीय प्राधिकरण को संविदा या करार में परिलक्षित राज्यों या संघ राज्यक्षेत्रों के लिए आशयित विज्ञापन सेवाओं की पूर्ति के स्थान को ऐसे प्रत्येक राज्य या संघ राज्यक्षेत्र होने के रूप में लिया जाएगा और प्रत्येक राज्य या संघ राज्यक्षेत्र को ऐसी विनिर्दिष्ट पूर्ति का मूल्य इस बाबत् की गई संविदा या करार के निबंधनानुसार यथा अवधारित क्रमिक राज्यों या संघ राज्यक्षेत्रों में प्रसार के रूप में दी गई सेवाओं के कारण दी गई रकम के अनुपात में होगा या ऐसे संविदा या करार के अभाव में ऐसे अन्य आधार पर, जो विहित किया जाए, होगा।